evolved. Why have you given such directions and how are you going to resolve this issue?

श्री संजय निरुपम: सर, गाइडलाइन्स चेंज होनी चाहिएं। There must be proper guidelines.

श्री अन्नासाहेब एम॰के॰ पाटील: सभापति जी, बी॰पी॰एल॰ लोगों की जो सेन्सस है, वह प्लानिंग कमीशन के मुताबिक एन॰एस॰एस॰आई॰, नेशनल सेम्पल सर्वे आर्गेनाइजेशन करती है। उसने जो पहले उस साल में सर्वे करके रिपार्ट दी थी तो उसमें जो क्राइटेरिया रखा था वह यह था कि It should be on the basis of income and expenditure of the family. जब उसने यह दस साल का पहला एक्सपीरिएंस देखा तो उसके ध्यान में आया कि हमने जो नॉर्म्स लगाई हैं उनमें कुछ डिफेक्ट है। इस वजह से कई कम्पलेंट भी आईं कि इस तरीके से ठीक से बीपीएल फैमिली का सर्वे नहीं होता है, इसलिए इन नॉर्म्स को चेन्ज करिए। इसके बाद फिर एक कमेटी बनाई गई थी डा॰ संजीवा रेड्डी की अध्यक्षता में, जिसमें एकाडमी से लोग हैं, प्लानिंग कमीशन के लोग हैं, दूसरे एक्सपर्टस हैं। इस कमेटी ने इस पर थोड़ा सोच के अभी कुछ इंडिकेशन दिया, जिसमें रखा है कि इकोनोमिक और सोशल बैकग्राउंड में भी देखा जाए ताकि उस आधार पर जो लिस्ट तैयार होगी वह सही ढंग से तैयार होगी। यह चेन्ज जैसे जैसे राज्यों की ओपिनियन आई, उसके हिसाब से हो गई है। यह होने के बाद मार्च, 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने, जो पब्लिक पीपुल्स यूनियन की लिटिगेशन वहां चल रही थी, उसमें स्टे कर दिया है।

श्री सभापति: ठीक है, तो स्टे हो गया है। नेक्स्ट क्वैश्चन।

State Disaster Management Authorities

*224. DR. ALLADI P. RAJKUMAR: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the Ministry of Home Affairs has asked the States to set up State Disaster Management Authorities which would act as nodal agency in dealing with emergency situation; and

(b) if so, the number of States which have taken action in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI SWAMI CHINMAYANAND): (a) The Ministry of Home Affairs has advised the State Governments and the Union Territory Administrations to set up a Disaster Management Authority to ensure that coordinated steps are taken for mitigation, preparedness, response and relief.

(b) The Governments of Orissa, Gujarat, Tamil Nadu, Kerala, Nagaland, NCT of Delhi, Andaman and Nicobar Administration and Chandigarh Administration have constituted Disaster Management Authorities so for.

DR. ALLADI P. RAJKUMAR: Sir, the hon. Minister has given a reply stating that very few States have constituted the Disaster Management Authorities. Sir, what are the reasons for the States not setting up the Disaster Management Authorities where the Central Government has given financial assistance to the States for setting up the Disaster Management Authorities? What are the details in this regard?

श्री स्वामी चिन्मयानन्द: सभापति जी, सभी राज्यों को पत्र लिखे गए हैं। गृह सचिव ने पत्र लिखे हैं। एक पत्र 2002 में लिखा गया, उसके बाद मई, 2003 मे पत्र लिखा गया। जिन राज्यों ने अपने यहां इस अथारिटी का गठन कर लिया है, वे राज्य हैं--उड़ीसा, गुजरात, तमिलनाडु, नागालैंड, दिल्ली, अंडमान और निकोबार और चंडीगढ़।

डा॰ अलादी पी॰ राजकुमार: यह सब तो आंसर में है। मंत्री जी, आप दूसरे स्टेट्स के लिए कोई टाइम बाउंड प्रोग्राम बनाएं डिजास्टर मैनेजमेंट अथारिटी बनाने के लिए, आप उसके लिए कोई समाधान दीजिए।

श्री स्वामी चिन्मयानन्द: पहला पत्र 18.12.2002 को लिखा गया था, दूसरा पत्र 26.05.2003 को लिखा गया था।

श्री सभापति: मंत्री जी, आप यह बता दीजिए कि अगर वे आपके पत्र की अवहेलना करते हैं तो आप कुछ कर सकते हैं क्या?

श्री स्वामी चिन्मयानन्द: ऐसी स्थिति में हमारे पास कोई मैकेनिज्म नहीं है कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करें।

श्री सभापति: फिर यह बताने का मतलब क्या है?

उपप्रधान मंत्री, गृह मंत्रालय तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रभारी (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): सभापति जी, मैं समझता हूं कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथारिटी की कल्पना केन्द्र में भी हमने बाद में की। देश में डिजास्टर तो होते रहते हैं, प्राकृतिक भी और पिछले दिनों में मैन मेड भी हुए, जब खासकर के टेरारिस्ट ऐक्टिविटीज़ होती हैं या कुछ और होता है। लेकिन यह अनुभव हुआ कि अगर कहीं पर कोई घटना-दुर्घटना होती है तो अभी तक पूरे का पूरा ध्यान सरकार का जो भी रिलीफ एंड रिहेब्लिटेशन डिपार्टमेंट होता है, वह करता है--बाद में करता है, पहले कोई उसकी व्यवस्था नहीं होती। इसीलिए खासकर के गुजरात के भूकम्प के बाद अनुभव हुआ कि

अगर हम देश भर में, केन्द्र में भी और प्रदेशों में भी, डिज़ास्टर रिलीफ मैकेनिज्म पहले से तैयार करें तो उसका लाभ होगा और उसके लिए कोआर्डिनेशन करना और केन्द्र में जो कुछ किया गया है, वह गृह मंत्रालय में किया जा रहा है, एक विभाग बनाया गया है, लेकिन प्रदेशों को लिखा गया है कि अब तक जो रिलीफ एंड रिहेब्लिटेशन विभाग ही करता था, उसकी बजाए चीफ सैक्रेटरी, जो भी स्टेट का है, उसकी अध्यक्षता में एक डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बननी चाहिए। कई स्टेट्स ने यह बनाई है, कई स्टेट्स इसे बनाने की दिशा में कार्य कर रहीं हैं। उनको हमने यह भी कहा है कि जो पुलिस मॉडर्नाइजेशन के लिए होम मिनिस्ट्री प्रदेश को सहायता देती है, उसका उपयोग भी इसके लिए कर सकते हैं।

श्री सभापति: नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नं॰ 255 ....(व्यवधान)...

DR. ALLADI P. RAJKUMAR: Sir, my second supplementary. ...(*Interruptions*)...

श्री मूल चन्द मीणा: सर, यह प्राकृतिक आपदा का सवाल है।

श्री सभापति: प्राकृतिक आपदा होती रहती है तो आप यह काम करिए, जैसा गृह मंत्री जी ने कहा कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट कमेटी के लिए गवर्नमेंट आफ इंडिया ने लिखा है, आप अपनी स्टेट गवर्नमेंट से कहिए कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट कमेटी ऐप्वाइंट कराए।

DR. ALLADI P. RAJKUMAR: My second supplementary. Sir, It is very important. ...(*Interruptions*)... It is very important. ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: Everything is not important during Question Hour. ...(*Interruptions*)...

SHRI JANARDHANA POOJARY: You are not allowing supplementary. ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: I will not allow. Please don't disturb. ...(*Interruptions*)...

श्री कपिल सिब्बल: सर जिस स्टेट के मंत्री खुद ही डिज़ास्टर हों तो उनका मैनेजमेंट कैसे होगा?

श्री सभापति: भाई, वह तो दोनों ही बात हैं, कहीं हाऊस में भी अगर कोई डिज़ास्टर बैठे हों तो उसका भी कैसे होगा।

श्री कपिल सिब्बल: वह भी जरा गृह मंत्री जी, उप प्रधानमंत्री जी हमें बता दें कि मुख्य मंत्री का कैसे मैनेजमेंट होगा?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: लोकतंत्र में इस प्रकार के डिज़ास्टर्स हैं तो उसकी व्यवस्था जनता करती है।

श्री सभापति: राजकुमार जी, अब छोड़िए आप, हो गया।

डा॰ अलादी पी॰ राजकुमार: सर, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे सैकिंड सप्लीमेंट्री पूछने दीजिए।

श्री सभापति: अच्छा ठीक है, पूछ लीजिए।

DR. ALLADI P. RAJKUMAR: My second supplementary is very important, Sir. Has the Twelfth Finance Commission suggested involving the local bodies, voluntary organisations and NGOs to tackle the natural calamities wherever it occurs? I would like to know this from the hon. Minister.

श्री स्वामी चिन्मयानन्द: सभापति जी, जो अथारिटी बनाई गई है, उसमें बहुत सारी चीजें शामिल की गई हैं। उसमें यह कहा गया है कि वहां के चीफ सैक्रेटरी के नेतृत्व में अथवा चीफ मिनिस्टर के नेतृत्व में वे मिनिस्ट्रियल कमेटी बनाएं या सैक्रेटेरिएट की कमेटी बनाएं और संबंधित विभागों के, जो साइक्लोन से प्रभावित विभाग होते हैं, उन सभी के सैक्रेटरी उसमें शामिल होंगे और इस तरह से वह कमेटी निरंतर सम्पर्क में रहेगी और स्थिति की मॉनिटरिंग करेगी।

*225. [*The questioner (Shri Bachani Lekhraj) was absent. For answer vide pages 39—44.*]

Financial help to J and K for handicrafts exports

*226. MISS MABEL REBELLO:
SHRI B.J. PANDA:

Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) whether Jammu and Kashmir propose to boost handicrafts exports;

(b) whether Government have extended financial help to the State for infrastructural development in the sector;

(c) if so, the details thereof;

(d) whether Government have any similar proposal under consideration to help other backward States such as Orissa, Bihar and Madhya Pradesh, etc.; and